

# बिहार गजट

# असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आषाढ़ 1940 (श0)

(सं0 पटना 647) पटना, शुक्रवार, 6 जुलाई 2018

#### वाणिज्य-कर विभाग

### अधिसूचना 6 जुलाई 2018

एस०ओ० 205 दिनांक 6 जुलाई 2018 — बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, यथा:—

- 1. (1) यह नियमावली बिहार माल और सेवा कर (सांतवा संशोधन) नियमावली, 2018' कहीं जा सकेगी।
  - (2) ये 12 जून, 2018 के प्रभाव से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।
  - 2. बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 में, |--
    - (i) नियम 125 में, 'रक्षोपाय महानिदेशालय शब्दों, के स्थान पर 'मुनाफाखोरी—रोघी महानिदेशालय' शब्द रखे जाएंगे;
    - (ii) नियम 129 में, 'रक्षोपाय महानिदेशक' शब्दों, जहां कहीं भी ये शब्द हैं, के स्थान पर 'मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशक' शब्द रखे जाएंगे;

- (iii) नियम 130 में, 'रक्षोपाय महानिदेशक' शब्दों, के स्थान पर दोनों जगहों पर जहां वे आएं हो 'मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशक' शब्द रखे जाएंगे;
- (iv) नियम 131 में, 'रक्षोपाय महानिदेशक' शब्दों, के स्थान पर 'मुनाफाखोरी-रोघी महानिदेशक' शब्द रखे जाएंगे;
- (v) नियम 132 में, 'रक्षोपाय महानिदेशक' शब्दों, के स्थान पर 'मुनाफाखोरी—रोघी महानिदेशक' शब्द रखे जाएंगे;
- (vi) नियम 133 में, 'रक्षोपाय महानिदेशक' शब्दों, जहां कहीं भी ये शब्द हैं, के स्थान पर 'मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशक' शब्द रखे जाएंगे।

[(सं०सं० बिक्री—कर / जीएसटी / विविध—21 / 2017 (खंड—2) 1949)] बिहार—राज्यपाल के आदेश से, डॉ प्रतिमा, वाणिज्य—कर आयुक्त—सह—सचिव।

## 6 जुलाई 2018

एस० ओ० 205 दिनांक 6 जुलाई 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

> [(सं०सं० बिक्री—कर / जीएसटी / विविध—21 / 2017 (खंड—2) 1949)] बिहार—राज्यपाल के आदेश से, डॉ प्रतिमा, वाणिज्य—कर आयुक्त—सह—सचिव।

#### The 6<sup>th</sup> July 2018

- S.O. 205 Dated 6<sup>th</sup> July 2018—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), Governor of Bihar, hereby makes the following rules further to amend the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the 'Bihar Goods and Services Tax (Seventh Amendment) Rules, 2018'.
- (2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 12<sup>th</sup> day of June, 2018.
  - 2. In the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, -
    - (i) in rule 125, for the words "Directorate General of Safeguards", the words "Directorate General of Anti-profiteering" shall be substituted;
    - (ii) in rule 129, for the words "Director General of Safeguards", wherever they occur, the words "Director General of Anti-profiteering" shall be substituted;

- (iii) in rule 130, in sub-rule (2), for the words "Director General of Safeguards", at both places where they occur, the words "Director General of Anti-profiteering" shall be substituted;
- (iv) in rule 131, for the words "Director General of Safeguards", the words "Director General of Anti-profiteering" shall be substituted;
- (v) in rule 132, in sub-rule (1), for the words "Director General of Safeguards", the words "Director General of Anti-profiteering" shall be substituted;
- (vi) in rule 133, for the words "Director General of Safeguards", wherever they occur, the words "Director General of Anti-profiteering" shall be substituted.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-2) 1949)]
By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima.

Commissioner-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 647-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <a href="http://egazette.bih.nic.in">http://egazette.bih.nic.in</a>